



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

तारीख: दिनांक 09 जून, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2025-26 में अनुदान संख्या-32 एवं अनुदान संख्या-83 के मानक मद-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण के अन्तर्गत आवंटित बजट के सापेक्ष Committed Liability के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/2026-27/6838, दिनांक 14.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष, 2025-26 में अनुदान संख्या-32 एवं अनुदान संख्या-83 के मानक मद-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण के अन्तर्गत आवंटित बजट से निर्गत क्रयादेश के सापेक्ष वित्तीय वर्ष, 2026-27 हेतु Committed Liability के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2025-26 में अनुदान संख्या-32 के मानक मद-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण के अन्तर्गत आवंटित बजट के सापेक्ष Committed Liability के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था हेतु चालू वित्तीय वर्ष, 2026-27 में निम्नलिखित तालिकानुसार अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 140.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रुपये 6,83,19,035/- (रुपये छः करोड़ तिरासी लाख उन्नीस हजार पैंतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-जिला/संयुक्त चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सालयों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 30.00 करोड़ के सापेक्ष रुपये 24,45,972/- (रुपये चौबीस लाख पैंतालिस हजार नौ सौ बहतर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

Equipment Committed Liability FY- 2025-26 Indent from Director (Medical Care) DGMH Grant - 32 (32-4210-01-110-64)							
Sr No	Indent No.	Indent Date	Particulars/ Indent for	Amount Sanctioned	PO Issued	Payment Done	Committed Liability
1	11F/2013-24/10107	24/11/2023	2023-24 Committed Liability	8,364,935.00	8,364,935.00	8,727,265.00	137,670.00
2	11F/2025-26/6863	28/05/2025	Jewar Gautam Budh Nagar Trauma Centre	30,027,878.00	8,056,127.52	4,419,100.04	3,637,027.49
3	11F/2025-26/68254	25/06/2025	KPM Hospital Kanpur Nagar	11,053,196.00	9,653,195.89	9,049,870.88	503,325.01
4	11F/2025-26/21795	08/09/2025	District Hospital Balrampur, Ultrasound Machine	868,274.00	868,274.10	-	868,274.10
5	11F/2025-26/22814	26/09/2025	District Hospital	107,410,445.00	2,705,533.20	630,105.00	2,075,428.20
6	11F/2025-26/23980	04/11/2025	Dental Xray for 09 DH	2,721,600.00	2,108,733.75	-	2,108,733.75
7	11F/2025-26/25332	25/11/2025	LBAN EYE Equipment	2,935,240.00	277,987.50	-	277,987.50
8	11F/2025-26/25335	25/11/2025	District Hospital	53,129,127.00	5,654,530.50	913,387.50	4,741,143.00
9	11F/2025-26/25787	03/12/2025	DH RAILABALI AND MAHARAJGUNJ	29,067,639.00	1,801,623.75	1,228,440.00	573,183.75
10	11F/2025-26/25783	03/12/2025	Rem Sagar Combined Hospital Sadhamau Lucknow, Defrin Kanpur Nagar, DWH Gorakhpur	29,788,590.00	2,792,976.95	913,387.50	1,879,589.45
11	11F/2025-26/26301	11/12/2025	DH Prayagraj, Bareilly, Moradabad, LKO, Lekhimpur Khirji, Unnao	28,291,076.00	714,825.00	158,850.00	555,975.00
12	11F/2025-26/26304	11/12/2025	DH Farrukhabad, Mahoba, Jhansi	19,285,935.00	277,987.50	-	277,987.50
13	11F/2025-26/26100	25/12/2025	DH Khurda, Balandahar, Mau, Auraiya, LKO,	15,799,732.00	1,845,307.50	315,052.50	1,530,255.00
14	11F/2025-26/26187	08/12/2025	DH Mainpuri, Ayodhya, Baghat, Gorakhpur, Hemirpur, Haraiya Basti, Etawah	23,938,644.00	2,491,547.42	-	2,491,547.42
15	11F/2025-26/26877	23/12/2025	DH	18,207,123.00	1,764,558.75	913,387.50	851,171.25
16	11F/2025-26/26874	26/12/2025	DH	13,616,077.00	477,011.72	-	477,011.72
17	11F/2025-26/27087	29/12/2025	DH	46,400,000.00	26,019,630.00	-	26,019,630.00
18	11F/2025-26/27084	29/12/2025	DH- EYE & ENT	84,666,354.00	17,346,420.00	-	17,346,420.00
19	11F/2025-26/2756	06/01/2026	Kanpur Nagar 100 Bedded Hospital	224,000.00	200,151.00	-	200,151.00
20	11F/2025-26/2765	04/02/2026	DWH Varansi	4,955,000.00	528,970.50	-	528,970.50
21	11F/2025-26/2761	04/02/2026	DWH MAU	1,846,700.00	335,949.70	-	335,949.70
22	11F/2025-26/3447	26/02/2026	Dental Chair DH Meerut, Sitapur, Bijnor, Etawah	1,120,000.00	800,604.00	-	800,604.00
Total							68,319,035.33

Indent from Director (Medical Care) DGMH Grant 83 (83-4210-01-789-03)							
Sr No	Indent No.	Indent Date	Particulars	Amount Sanctioned	PO Issued	Payment Done	Committed Liability
1	11F/2025-26/2779	04/02/2026	Postmortem House Gonda	1,494,800.00	777,659.00	-	777,659.00
2	11F/2025-26/4581-83	19/03/2026	DCH Chakira Chaudhali	8,138,376.00	2,168,302.50	-	2,168,302.50
Total							2,445,972.30

निकाश शर्तों/प्रतिबन्धों

- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 एवं उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट-मैनुअल शासनादेश संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3(एस0पी0)/2010, दिनांक 01.04.2016 में क्रय नियमों/ प्रक्रिया के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था एवं जेम पोर्टल पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं/निगमों के द्वारा जेम से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23.08.2017, शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल030)/12, दिनांक 19.03.2020, शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0,

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दिनांक 25.08.2020, शासनादेश संख्या-17/2021/233 /18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0,
दिनांक 31.05.2021, शासनादेश संख्या-42/2021/491/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0,
दिनांक 26.10.2021, शासनादेश संख्या-23/2022/165/18-2-2022-97(ल030)/2016 टी0सी0,
दिनांक 29.06.2022 एवं वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-
231/2021, दिनांक 22.03.2021 उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ-साथ क्रय
सम्बन्धी प्रचलित समस्त शासनादेशों/ नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित
किया जाएगा।

2. इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है कि प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में किसी भी अनियमितता के लिए क्रय प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।
3. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।
4. चिकित्सा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2020/470/पाप-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 12.03.2020 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रूपया 2.00 लाख प्रति उपकरण से कम के उपकरणों (साज-सज्जा एवं फर्नीचर को छोड़कर) का क्रय परिधिगत अधिकारियों द्वारा तथा रूपया 2.00 लाख से अधिक के उपकरणों का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि0 द्वारा अर्थात् जेम पोर्टल से किया जायेगा।
5. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय टर्नकी आधार पर जेम बिड द्वारा ही सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जेम पोर्टल से क्रय अनिवार्यता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23.08.2017 के अन्तर्गत आवश्यकता को टुकड़े-टुकड़े में क्रय किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना गया है एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की निर्धारित गाइड लाइन्स/रूल्स, सी0वी0सी0 एवं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, 2022 के गाइड लाइन्स में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन प्रत्येक दशा में प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित क्रय अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों को यथावश्यकतानुसार/ नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये हैं। यदि मानक से इतर उपकरण/मशीन प्रस्तावित क्रय किये जाते हैं तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा।
9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 25.11.2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके हैं। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।
 11. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हैं।
 12. उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।
 13. विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार हैं।
 14. उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
 15. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।
 16. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों/कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।
 17. उपकरणों की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अतः इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 18. उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा।
 19. प्रश्नगत उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करने समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 20. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
 21. इस सम्बन्ध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज से करके इसकी सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
 22. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।
 23. उपरोक्त सन्दर्भित समस्त बिन्दुओं से इतर अन्य किसी राजकीय विभाग के शासनादेश जो क्रय नियमों से सम्बन्धित नहीं हैं, का निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में औचित्य पूर्ण पाये जाने की स्थिति में शासकीय अनुमति के उपरान्त ही अपनाई गई प्रक्रिया नियमानुसार मान्य होगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 6,83,19,035 (रुपये छह करोड़ तिरासी लाख उन्नीस हजार पैंतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखाशीर्षक 4210011106400 जिला/ संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (2) रुपये 24,45,972 (रुपये चौबीस लाख पैंतालीस हजार नौ सौ बहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210017890300 जिला/संयुक्त चिकित्सालयों तथा अन्य चिकित्सालयों के लिये उपकरणों का क्रय मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासक, विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदार), प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशासन/संयोजन/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षक अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।